पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2020

1. कपिल देव पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. कमलेश पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 210/203 के खसरा सं 44 की 10.787है0, खसरा सं 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0, इसी प्रकार रोही बुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0 कुल 8.435है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 कपिलदेव व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 132/2020

1. कपिल देव पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. कमलेश पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल **: वादी**
वकील श्री विनोद शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 25.01.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 210/203 के खसरा सं 44 की 10.787है0, खसरा सं 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0, इसी प्रकार रोही बुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0 कुल 8.435है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मघाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मघाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 3 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर साक्षी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु कपिल देव पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गढडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गढडा संवत 2071–74, जमाबंदी रोही मोजा बुढेर संवत 2074–76 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढडा प्रदर्श 3, जमाबंदी खसरा खतौनी ग्राम बुढेर संवत 2038 प्रदर्श 4, खसरा गिरदावरी ग्राम गढडा प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में ओमप्रकाश के एक पुत्र कपिलदेव व एक पुत्री कमलेश के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा गढडा के खाता सं 210/203 के खसरा सं 44 की 10.787है0, खसरा सं 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0, इसी प्रकार रोही वुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0 कुल 8.435है0 वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 210/203 के खसरा सं 44 की 10.787है0, खसरा सं 91 की 1.631है0, खसरा सं0 96 की 2.922है0, खसरा सं0 124 की 0.860है0 कुल 16.200है0, इसी प्रकार रोही वुढेर के खाता सं0 98/97 के खसरा सं0 197/1 की 0.936है0, खसरा सं0 256 की 3.035है0, खसरा सं0 259 की 1.821है0, खसरा सं0 261 की 2.643है0 कुल 8.435है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 कपिलदेव व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:20 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner